

कार्यालय मुख्य अभियंता (मानव संसाधन एवं प्रशासन)
मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड
(म.प्र.शासन का उपक्रम)



CIN No. U40109MP2001SGC014882
ब्लॉक नं.-9, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर - 482008
फोन नं. : 0761-2702615 ई मेल : mppgcl@mp.nic.in
फैक्स नं.: 0761-2665805 वेबसाइट : www.mppgcl.mp.gov.in

क्र: मु.अ.(मा.सं.एवं प्र.)/उ.स-II./2018/3201

जबलपुर, दिनांक 10/08/2018

आदेश

म.प्र. शासन उर्जा विभाग के निर्देश पत्र क्र.5268/2018/तेरह भोपाल दिनांक 25.06.2018 एवं पत्र क्र. 5423/2018/तेरह दिनांक 29.06.2018 के अनुपालन में निर्णय लिया जाता है कि कम्पनी कैंडर कार्मिकों हेतु प्रशिक्षण अवधि को प्रचलित वेतन नियम/ वेतन पुनरीक्षण नियम अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि की गणना में सम्मिलित किया जायेगा। इस प्रकार वेतन वृद्धि प्रशिक्षण प्रारंभ करने की तिथि से एक वर्ष बाद से मिलेगी, किन्तु बढ़ी हुई प्रशिक्षण अवधि वार्षिक वेतन वृद्धि की गणना हेतु मान्य नहीं होगी।

उक्त आदेश दिनांक 25.06.2018 से लागू होगा एवं इसके लागू होने की तिथि से पूर्व की अवधि का कोई एरियर्स देय नहीं होगा। साथ ही दिनांक 01.01.2018 से लागू नए वेतनमानों पर उक्त निर्देशों का कोई प्रभाव नहीं होगा।

पूर्व प्रकरणों हेतु वेतनवृद्धि की गणना Notionally करते हुए उक्तानुसार वित्तीय लाभ भविष्यलक्षी प्रभाव (Prospectively) से ही दिया जावेगा।

(ए.के. नेमा)
मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.)
म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर


क्र: मु.अ..(मा.सं.एवं प्र.)/उ.स.दो/ 3202

जबलपुर, दि. 10/08/2018

प्रतिलिपि :-

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. मुख्य महाप्रबंधक (मा.संसा.एवं प्रशा.), म.प्र.पॉ.मैने.कं.लि./म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि./ म.प्र.मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि./म.प्र.पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि. जबलपुर/भोपाल/इंदौर।
3. मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.), म.प्र.पॉ.ट्रांस.कं.लि. जबलपुर।
4. कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (संचा.संधा.'उत्पा.)/ (अभियांत्रिकी)/ (कार्पोरेट सर्विसेस)/ (परियोजना उत्पादन)/ (ईंधन प्रबंधन)/ (सिविल अभियांत्रिकी)/ (नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण) / (सामग्री प्रबंधन)/ (संचा.संधा.-जल विद्युत), म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि.जबलपुर।

5. कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (उत्पादन), श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना./ संगान्ताविगृह/अताविगृह/सताविगृह/म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. खण्डवा/बिरसिंहपुर/चचाई/सारनी ।
6. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर ।
7. मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर ।
8. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (उत्पादन-भंडार), टॉस हायडल काम्पलेक्स, म.प्र.पॉवर जन.क.लि., जबलपुर/सिरमौर ।
9. अधीक्षण अभियंता (सिविल) जल वि.संधा. एवं सर्वे एवं अन्वे, म.प्र.पॉ. जन. कं.लि. जबलपुर।
10. अधीक्षण अभियंता (उत्पादन)/गांधीसागर/पेंच/राजघाट/रानी अवंतीबाई सागर/ बाणसागर- दो/तीन/चार, मडीखेडा जल विद्युत गृह, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. गांधीसागर/तोतलाडोह/चंदेरी/ बरगीनगर/शिवपुरी/सिलपरा/देवलौद/झिन्ना, ।
11. वरिष्ठ लेखाधिकारी (सीओजी एण्ड एचएस), म.प्र.पॉ;जन.कं.लि. जबलपुर ।
12. वरिष्ठ लेखाधिकारी, श्री सिंगाजी ता.वि.परि./ संगान्ताविगृह/ अताविगृह/सताविगृह/. म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. खण्डवा/बिरसिंहपुर/चचाई/सारनी/सिरमौर ।
13. स्टाफ आफिसर/निज सहायक संबद्ध प्रबंध संचालक/संचालक (तकनीकी)/(वाणिज्य), म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर ।
14. आदेश नस्ती ।


(एस.के. देशपांडे) 09/18
अतिरिक्त मुख्य अभियंता
कार्या.मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.)
म.प्र.पॉ.जन.कं.लि.जबलपुर